मुलाकात नियमावली

कौन मुलाकात के पात्र है?

- पति/पत्नी/बच्चे
- माता-पिता
- अन्य रिश्तेदार
- मित्र
- वकील

✓ मुलाकात के समय एक साथ तीन लोगों की आज्ञा है

✓ विचाराधीन कैदी 7 दिनों में एक बार मुलाकात कर सकते हैं और सिद्धदोष/अपराधी को 15 दिनों में एक बार मुलाकात करने की आज्ञा है।

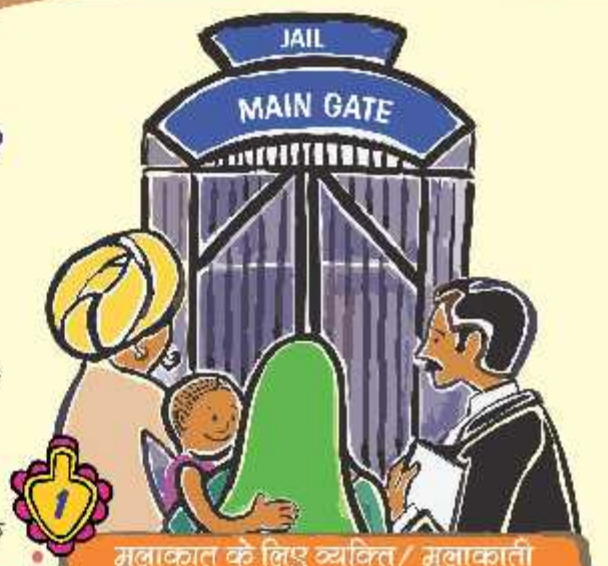

1 मुलाकात के लिए व्यक्ति/ मुलाकाती मुख्य द्वार तक आता है

आप कब मिल सकते हैं?

मुलाकात आम तौर पर नीचे सूचीबंद्ध दिनो पर आयोजित की जाती है:

	सुबह (समयः)	शाम (समयः)
सोम		
मंगल		
बुध		
गुरू		
शुक्र		
शनि		
रवि		

मुलाकात की अवधि 45 मिनट है।

2 मेलक/कोनटेकटर से मिलता है जोकि द्वार पर बैठता है और रू. 2 का एक फार्म भरता है

3 मुलाकाती के पहचानपत्र की आवश्यकता होती है और एक फोटो ली जाती है

4 एक बार जब फार्म का एक सेट जमा हो जाता है, इन्हे ऑफिस में आगे छानबीन के लिए भेजा जाता है

इस प्रकिया को करने में 2 घंटे के आसपास लगता है। इसलिए मुलाकात के लिए लोगों को 2 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी जाती है।

5 स्वीकृत/अस्वीकृत फार्मों को वापस मुख्य द्वार पर भेज दिया जाता है

जब आप मुलाकात के लिए आते है, आपकी :-

- जेल स्टाफ द्वारा तलाशी की जाएगी
- महिलाओं की तलाशी महिला स्टाफ द्वारा की जाएगी
- आपके वीक्षण के दौरान अस्वीकृत वस्तुओं को ले जाने की आज्ञा नहीं होगी

✓ आपके आने का मकसद घरेलू या कानूनी तक सीमित होना चाहिए।

✓ कैदी के साथ मुलाकात जेल अधिकारी के समक्ष होगी।

6 जेल के भीतर दूसरे गेट पर मुलाकाती की जांच की जाती है

कैदी से मुलाकात होती है

7

मुलाकात के दौरान मंजूर की गई वस्तुएं:-

- सभी प्रकार के कैदियों को खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की आज्ञा है।
- उचित मात्रा में फल, बिस्किट,प्रसाधन का सामान इत्यादि।
- दोषसिद्ध अपराधियों के अलावा अन्य कैदियों को सिविल पोशाक प्राप्त करने की आज्ञा है।
- यदि कोई भी वस्तु-पैसे कैदियों को दिया जाता है तो गेट पर जमा किया जाना चाहिए।

उपरोक्त सभी बातें जेल प्रमुख के विवेक पर निर्भर करती हैं। इसकी सुरक्षा जांच होती है और फिर कैदियों को दी जाती है।

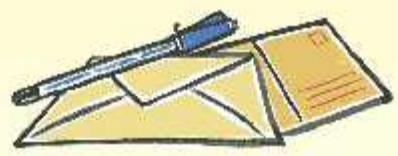

पत्र लेखनः-

जेल नियम-पुस्तिका के अनुसार, सभी कैदियों को अपने रिश्तेदारों, मित्रों और कानूनी सलाहकारों से सम्पर्क करने के लिए लेखन सामग्री पाने का अधिकार है। इसलिए, कैदी पत्र लिख सकते हैं और पत्र प्राप्त भी कर सकते हैं। फिर भी,

✓ कैदी 15 दिनों में केवल एक बार पत्र लिख सकते हैं।

✓ जेल अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जा सकती है और अगर कोई संदेह हो या गलत शब्दों का उपयोग किया गया हो तो, इसे रद्द किया जा सकता है।

✓ कैदियों को पत्र भेजने के लिए सरकारी खर्चे पर डाक टिकट उपलब्ध कराया जाता है।

✓ अगर यह किसी अंजान भाषा में है, इसका पहले अनुवाद कराया जाएगा।

✓ पत्र की विषय वस्तु घरेलू और निजी बातों तक सीमित होनी चाहिए।

COMMONWEALTH HUMAN RIGHTS INITIATIVE
B-117, IInd Floor, Sarvodaya Enclave, New Delhi-110017
Tel.: +91 - (0)11 4318 0200 Fax: +91 - (0)11 2686 4688
info@humanrightsinitiatives.org / www.humanrightsinitiatives.org

RAJASTHAN PRISONS DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN